मै0 उमेश चन्द्र पाण्डे (सोप स्टोन माईनिंग परियोजना) ग्राम चिफलेत पाली चक टिटोली तहसील काण्डा जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 06.08.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 उमेश चन्द्र पाण्डे (सोप स्टोन माईनिंग परियोजना) ग्राम चिफलेत पाली चक टिटोली तहसील काण्डा जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड सोप स्टोन माईन एक पूर्व से संचालित माईन है। संचालित सोप स्टोन प्रोडक्ट (4.822 है0 क्षेत्रफल) खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना– 2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों हिन्दुस्तान (उत्तराखण्ड संस्करण) एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) में दिनांक 03.07.2024 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य /इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 06.08.2024 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी तदक्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 06.08.2024 को पूर्वान्ह् लगभग 11:00 बजे निकट परियोजना स्थल तहसील काण्डा जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम डॉ0 डी0के0 जोशी क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी बागेश्वर, श्री एन0एस0 नबियाल, जनप्रतिनिधियों तथा उपस्थित क्षेत्रीय जनता का जनसुनवाई में स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी। अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था कॉग्निजेंस रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के श्री अखिल कुमार द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना को पूर्व में DEIAA के द्वारा पर्यावरण मंजूरी निर्गत की गयी थी जिसके तहत खनन कार्य किया जा रहा था, परन्तु एनजीटी के आदेशानुसार इ0सी0 पुर्नमूल्यांकन हेतु SEIAA में आवेदन किया गया। जिसके तहत जनसुनवाई की जा रही है प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग परियोजना से 70 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तथा उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। मानसून के पहले 08 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी की गयी तथा प्राप्त परिणामों के अनुसार वायु की गुणवत्ता आवासीय ग्रामीणऔर अन्य क्षेत्रों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है।

क्रमशः–2

खनन क्षेत्रान्तर्गत 04 स्थानों पर शोर की दिन और रात में निगरानी के समय शोर का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर ही पाये गये। प्रस्तावित खनन क्षेत्रान्तर्गत भूजल के नमूनों की जांच की गयी जो भौतिक–रासायनिक प्रचालन के पानी के मानकों के लिए निर्धारित सीमा के भीतर हैं। सतही जल विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नमूनों के अधिकांश मापदण्डों का सी0पी0सी0बी0 श्रेणी बी का अनुपालन होता है। क्षेत्रान्तर्गत की मिट्टी के नमूनों की जांच कर विश्लेषण से पता चला कि मिट्टी की प्रकृति क्षारीय है। खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबन्धन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ प्रस्तावित परियोजना पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के बिना आगे बढ़ सकती है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। पर्यावरण के क्षेत्र में जीव–जन्तुओं एवं वनस्पतियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पडेगा। खनन सामग्री के परिवहन किये जाने हेतु मात्र कम प्रदूषण करने वाले वाहनों का ही प्रयोग किया जायेगा। खनन कार्य करते समय शोर स्तर की तुलना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एण्ड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा निर्धारित मानकों के साथ की जायेगी। जिसे सरकार द्वारा अपनाया और लागू किया गया है। खनन गतिविधियों में नियोजित स्थानीय लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार होगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत पेड़ों की कटाई नहीं होगी। सोपस्टोन के खनन से पानी की गुणवत्ता और मापदण्डों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, चूंकि खनन भूजल स्तर के साथ अवरोधन नहीं करता है। परियोजना में किसी धारा को मोड़ने या काट–छाँट करने का प्रस्ताव नहीं है। खनन कार्य से नदी के पानी, भूजल तथा अन्य किसी भी निकटतम जलास्य के पानी को कोई क्षति नहीं होगी। परियोजना के माध्यम से 480 पौधे प्रतिवर्ष की दर से 05 वर्षों में कुल 2400 स्थानीय प्रजाति के पेड़ खनन क्षेत्र के आस–पास व कनेक्टिंग सड़कों पर लगाया जायेगा। पर्यावरण प्रबंधन योजना में पूंजी लागत धनराशि रू0– 7.20 (लाख में) व आवर्ती लागत धनराशि रू0– 5.90 (लाख में) प्रस्तावित किया गया है। मानसून से पूर्व खनन क्षेत्रान्तर्गत के गढढों में अपष्ठि पदार्थ से भरकर समतलीकरण किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबन्धन के प्रभावी कार्यान्वयन होने की दशा में खनन क्षेत्र में जीव जन्तुओं और वनस्पतियों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनन गतिविधियों के शुरू होने के बाद नागरिक सुविधाओं पर प्रभाव पर्याप्त होगा। चिकित्सा सुविधाएं खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में प्रदान की जाएगी। आपाद स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी ये चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परियोजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी। खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव के आगे बढ़ सकती है। प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत हैः–

1. श्री पूरन सिंह (ग्राम प्रधान) पालीबग्याली तहसील काण्डा बागेश्वर– श्री पूरन सिंह द्वारा कहा गया कि खनन यदि मानकों के भीतर हो तो हम खनन कार्य से सहमत है।

कमशः–3

इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान द्वारा अध्यक्ष महोदय से पृच्छा की गयी कि जिला खनन न्यास में जमा धनराशि से किस प्रकार गांव के विकास कार्य किये जा सकते हैं जिस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस संबंध में जिला खान अधिकारी से सम्पर्क कर शासनादेशों में उल्लिखित नियमों के अन्तर्गत विकास कार्यों के आंगणन तैयार कर जिला खनन न्याय समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने पर गांव के अन्तर्गत विकास कार्य सम्भव हैं।

2. श्री मोहन सिंह ग्राम पालीबग्याली तहसील काण्डा बागेश्वर– हम खनन कार्य से सहमत हैं अन्य कुछ नहीं कहना है।
3. श्री नवीन चन्द्र भट्ट पालीबग्याली तहसील काण्डा बागेश्वर– खनन कार्य से कोई आपत्ति नहीं है।
4. श्री नन्दा बल्लभ भट्ट पालीबग्याली तहसील काण्डा बागेश्वर– खनन कार्य से कोई समस्या नहीं है। हम खनन कार्य हेतु अपनी सहमति देते हैं।
5. श्री ललित चन्द्र चन्दोला ग्राम पालीबग्याली तहसील काण्डा बागेश्वर– खनन कार्य से सहमत हैं, कोई आपत्ति नहीं है।
6. श्री हेम चन्द्र पाण्डे (परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि)– परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वह विगत 05 वर्षों से क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य करते आ रहे हैं। काश्तकारों से किये गये अनुबन्ध के आधार पर ससमय भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। खनन से क्षतिग्रस्त रास्तों का तत्काल पुर्ननिर्माण कार्य किया जाता है।

खनन कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत ग्रामीणों को नहीं है। भविष्य में भी खनन कार्य से ग्रामीणों को कोई शिकायत नहीं होगी। जो भी समस्याएं आयेगी उनका सबको साथ व विश्वास में लेकर समाधान किया जायेगा। खनन न्यास से जो भी कार्य किये जाने हैं ग्रामीण जिला खान अधिकारी से सम्पर्क कर विकास कार्य संबंधी प्रस्ताव रखें। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा उपस्थित लोगों से पुनः सुझाव/आपत्तियों हेतु अनुरोध किया गया तथा कहा गया कि आपसे प्राप्त सुझावों/आपत्तियों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जायेगा जो प्रस्तावित परियोजना के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा पट्टाधारक प्रतिनिधि से सीईआर योजना में प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर स्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त विद्यालयों में बच्चों हेतु स्कूल ड्रेस, कापी–किताबें, फर्नीचर व बच्चों के बैठने हेतु चटाईयां आदि का भी प्रस्ताव रखे जाने, खनन से क्षतिग्रस्त रास्ते, दीवारें जिसका पट्टाधारक को पुर्ननिर्माण कराया ही जाना पड़ेगा के दृष्टिगत पर्यावरण प्रबंधन योजना में प्रस्तावित ढुलाई पथ की मरम्मत और रखरखाव हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0– 0.70 (हजार में) को भी जनहित में बढाने, साथ ही पट्टाधारक से खनन क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक रास्तों, प्राकृतिक पेयजल स्त्रोतों, पेयजल लाईनों व पेड़–पौधों को संरक्षित करते हुए खनन कार्य किये जाने की अपेक्षा की गयी।

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

क्रमशः–4

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति पंजिका में दर्ज की गयी।

संलग्नक–यथोपरि।

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(एन0एस0 नबियाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।

श्री उमेश चन्द्र पाण्डे द्वारा ग्राम- चिकलेत पाली चक, टिटोली तहसील- काण्डा, जिला- बागेश्वर में प्रस्तावित चिकलेत पालीचक टिटोली सोपस्टोन माइनिंग (क्षे०-4.822 है०) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई हेतु उपस्थिति का विवरण :-

सुनवाई स्थल:- निकट परियोजना स्थल
समय एवं तिथि:- प्रातः 11:00 बजे, दिनांक- 6|08|2024

क्र०/सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	एन. एस. नबियाल	अपरजिलाधिकारी बागेश्वर	[illegible]
2.	डा. डी. के. जोशी	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र०नि०बोर्ड. हल्द्वानी	[illegible]
3.	अखिल कुमार	पर्यावरण सलाहकार	[illegible]
4.	चन्द्रवल्लभ जोशी	अनुभाग सहा० उ०प्र०नि०बोर्ड. हल्द्वानी	[illegible]
5.	कुन्दन तिलारा	PA to ADM.	[illegible]
6.	पूरनसिंह	ग्राम प्रधान पाली बगयाल	[illegible]
7.	महेश चन्द्र	ग्राम प्रधान पाली बगयाल	[illegible]
8.	देवेन्द्र सिंह कन्याल	ग्राम- मिथुन कोट	[illegible]
9.	श्री नैन सिंह	ग्राम- मिथुन कोट	नैनसिंह
10.	हरीश सिंह	"	हरीश सिंह
11.	गणेश प्रताप	"	गणेश प्रताप
12.	दरबान सिंह	पोखरी	दरबान सिंह
13.	मोहन सिंह	कमपाली	[illegible]
14.	नवीन भट्ट	कपाली	[illegible]
15.	ललित चन्द्र [illegible]	दपोरी	दान सिंह
16.	दान सिंह	थाला	[illegible]
17.	पंकज जोशी	कुपाल	[illegible]
18.	[illegible]		[illegible]
19.	महेश [illegible]	दफौटी	भगवान सिंह
20.	भगवान सिंह	कुपाई	गुसाई राम
21.	गुसाई राम	चिकुल	गोपाल राम
22.	गोपाल राम	अन्तरजानी (व्यक्ति)	[illegible]
23	हेम चन्द्र पाण्डे		[illegible]
24.	चंचल सिंह	विजयपुर	

जन सुनवाई
खनन परियोजना– उमेश चन्द्र पाण्डे
ग्राम– चिफलेत पाली चक टिटोली, तहसील– काण्डा, जिला– बागेश्वर, उत्तराखण्ड
सोप स्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल– 4.822 है.)
सुनवाई स्थल– निकट परियोजना स्थल
समय एवं तिथि– प्रातः 11 बजे, दिनांक 06/08/2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक– क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
आवास विकास कॉलोनी - हल्द्वानी (नैनीताल) 263139
UKPCB
परियोजना प्रस्तावक- उमेश चन्द्र पाण्डे, पर्यावरण सलाहकार- मैसर्स कॉग्नीजैन्स रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
आवास विकास कॉलोनी - हल्द्वानी (नैनीताल) 263139
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर